प्रमाणित प्रतिलिपि ....
प्रकरण संख्या .... 1193/17 .... उप खण्ड अधिकारी
व मजिस्ट्रेट सोजत .... है/हुआ।

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना–पत्र संख्या :– 1193/2017

प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण)	बनाम	अप्रार्थीगण(वादीगण)
1. भंवरलाल पुत्र गीदाराम जातियान घांची निवासीगण हाडिया कुंआ आदेश्वर मंदिर के पास, सोजत सिटी तहसील सोजत वादीगण सं0 01 से 9/13 तक वगैरह		1. विरदाराम पुत्र शंकरलाल जातियान घांची निवासीगण हाडिया कुंआ आदेश्वर मंदिर के पास, सोसजत सिटी तहसील सोजत प्रतिवादीगण संख्या 1 से 5 वगैरह

राजस्व प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी बाबत प्रतिवादीगण का काउण्टर वाद पुनः रेस्टोर करने बाबत

उपस्थितः–

1. श्री गजेन्द्र कुमार मेहता अधिवक्ता प्रार्थीगण
2. श्री भवानीसिंह जैतावत अधिवक्ता अप्रार्थीगण

दिनांक – 07.03.2022

–: निर्णय :–

अधिवक्ता मय प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) ने एक विविध प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01 सीपीसी सहपठित धारा 151 सीपीसी तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक संख्या 01 तहसील सोजत में वादीगण एवं प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त की कृषि भूमि खाता संख्या 1191 खसरा नम्बर 3039 से 3043, 3043 से 3063 कुल किता 24 रकबा 16.7300 हैक्टर स्थित है। वर्णित भूमि का वाद अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 03 ने न्यायालय हाजा में बाबत स्थाई निषेधाज्ञा एवं बंटवाडे का प्रस्तुत किया जो राजस्व वाद सख्यां 110/2012 पर दर्ज किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया जिस पर प्रार्थीगण की ओर से न्यायालय हाजा में अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का जबाब दावा एवं साथ ही अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 के द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र का जबाब दावा एवं साथ ही अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 3 के विरूद्ध प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया। अप्रार्थी संख्या 01 लगायत 3 के द्वारा प्रस्तुत वाद में प्रार्थीगण एवं अप्रार्थीगण द्वारा आपसी सहमति से प्राथमिक डिक्री पारित की गई जिस पर तहसीलदार सोजत को विभाजन प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत कर निर्देशित किया गया। तहसीलदार सोजत द्वारा प्राथमिक डिक्री प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय हाजा में प्रस्तुत किया, जिस पर प्रार्थीगण के हस्ताक्षर है। दिनांक 01.12.2016 को अप्रार्थी संख्या 1 विरदाराम द्वारा प्रार्थना पत्र बाबत वाद विड्रोवल करने हेतु प्रस्तुत किया। जिस प्रार्थना पत्र की प्रति प्रार्थीगण को उपलब्ध कराये बिना ही तथा प्रार्थीगण को बिना सुनवाई का अधिकार दिये ही वाद जरिये विड्रोवल खारिज कर फैसल शुमार कर दिया। जबकि प्रार्थीगण की ओर से अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 3 द्वारा प्रस्तुत वाद में अपना प्रतिवादावा प्रस्तुत किया था। न्यायालय हाजा द्वारा भी प्रतिदावे के सम्बन्ध में किसी प्रकार का कोई आदेश पारित नही किया गया। मूल वाद में चूकि प्राथमिक डिक्री जारी की जाकर विभाजन प्रस्ताव पत्रावली में सा.मि. हो चुका था, प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद में प्रतिदावा प्रस्तुत किया गया था। जिस पर न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नही लिया गया, विड्रोवल प्रार्थना पत्र की प्रति भी प्रतिवादी अधिवक्ता को उपलब्ध नही करवाई गई थी, तथा वादी स्वयं का वाद विड्रोल करने का अधिकारी होता है एवं पत्रावली में यदि प्रतिदावा प्रस्तुत हो तो दावा विड्रोल होने पर वादी प्रतिवादी तथा प्रतिवादी वादी की श्रेणी में चला जाता है। किन्तु मुल वाद में इन

उप खण्ड अधिकारी

उप खण्ड अधिकारी एवं मजिस्ट्रेट सोजत (राज.)

FOR COPYING FEES ONLY दो रुपये TWO RUPEES INDIA COURT FEE

समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज किया जाकर मूल वाद जरिये विड्रोवल खारिज कर फेशल शुमार कर दिया गया। इस प्रकार अधिवक्ता मय प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 47 नियम 01सीपीसी तथा धारा 151 सीपीसी का प्रस्तुत कर प्रतिवादीगण का प्रस्तुत काउन्टर वाद पुनः रेस्टोर किये जाने की ईश्तदुआ की है।

अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्राथीगण द्वारा एक एतराज का प्रार्थना पत्र बिना आधार के एवं विधि विरूद्ध तरीके से पेश किया था जिससे उसको रेकर्ड पर इसलिये नही दर्ज किया गया कि " आप विधिवत रूप से अपना प्रार्थना पत्र पेश करे" उक्त वाद विड्रो करने की जानकारी वादीगण एवं प्रतिवादी के अधिवक्ता को थी तथा प्रतिवादीगण विरदाराम वगैरह ने उक्त वाद विधिवत रूप से अपने अधिकारो को सुरक्षित रखते हुए सशर्त विड्रो करने की जानकारी वादीगण एवं वादीगण के अधिवक्ता को थी प्रतिवारीगण विरदाराम वगैरह ने उक्त वाद विधिवत रूप से अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए सशर्त विड्रो करने की इजाजत न्यायालय से प्राप्त कर वाद विड्रो किया था जो विधि सम्मत था तथा विरदाराम से प्राप्त कर वाद विड्रो किया था जो विधि सम्मत था तथा विरदाराम वगैरह के द्वारा वाद पेश करते समय गलती से प्रतिवादी संख्या 10 मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम को पक्षकार बना कर हिस्सा दर्शित कर दिया गया था प्राथमिक डिक्री भी मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम के हिस्से में 2.0000 हैक्टर जमीन बन गई थी जबकि मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम राजस्व रेकर्ड में खातेदार भी नही था। ऐसी स्थिति में विरदाराम वगैरह के हिस्से की भूमि मिश्रीलाल पुत्र पोकरराम जो उसका काका लगता था उसके हिस्से में जा रही थी। जिससे विरदाराम वगैरह को 2.000 हेक्टर कृषि भूमि का नुकसान हो रहा था। इसलिये भी वादी को वाद विड्रो करना आवश्यक हो गया था तथा प्राथमिक डिक्री भी पटवारी हल्का के द्वारा आंख बंद कर पेश कर दी गई थी। प्राथमिक डिक्री में खरताराम वगेरह को लाभ पहुंचाने की नियत से 14 एयर भूमि के पट्टे खरताराम जी के हिस्से में छोड दी गई थी। जो भविष्य में खरताराम ही उसका उपयोग उपभोग करता रहेगा जिससे विरदाराम वगैरह को काफी नुकसान हो रहा था तथा खरताराम के विरूद्ध म्यूटेशन अपील चल रही थी उसमें उक्त वाद का हवाला देकर विरदाराम वगैरह को नुकसान हो रहा था। इसलिए विरदाराम वगैरह ने यह वाद अपने हितों को मध्य नजर रखते हुये वाद विड्रो किया था। जबकि वाद भी अपने अधिकारों को सुरक्षित रखते हुए विड्रो किया था। जिसकी जानकारी उसी दिन भंवरलाल वगैरह को हो गई थी तथा विरदाराम वगैरह ने अपनी स्वेच्छा से वाद पेश किया था स्वेच्छा से वाद विड्रो किया था। अब भी वादीगण भवरलाल वगैहर नया वाद पेश करने के लिये पूर्णतः स्वतंत्र है। जबकि उक्त काउण्टर क्लेम की कोई तनकियात नही बनी थी, न ही वादीगण ने कोई तनकीयात अपने पक्ष मे साबित करवायी थी। ऐसी स्थिति में वाद विड्रो करने का अधिकार विरदाराम वगैरह को था। इसलिये वाद विधिवत् विड्रो किया गया। इस प्रकार अधिवक्ता मय अप्रार्थीगण (वादीगण) ने जबाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र अधिवक्ता मय प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) द्वारा प्रस्तुत आदेश 47 नियम 1 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी म्याद बाहर होने से खारिज करने की ईश्तदुआ की है।

बहस वकुलाय उभयपक्षकारान प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 1 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी दिनांक 12.01.2022 तथा मजिद बहर आज सुनी गई एवं समायत की गई।

बहस के दौरान अधिवक्ता प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) ने व्यक्त किया कि न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत में एक वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया। जिसमें हमारे द्वारा प्रतिदावा पेश किया गया था। इस पत्रावली में न्यायालय हाजा द्वारा बाद विधिक सुनवाई प्राथमिक डिक्री जारी की गई। तहसीलदार सोजत द्वारा प्राथमिक डिक्री की पालना में विभाजन प्रस्ताव तैयार कर न्यायालय में प्रस्तुत किया। उक्त विभाजन प्रस्ताव पर वादी के हस्ताक्षर भी थे। किन्तु वादीगण द्वारा मूल वाद को जरिये विड्रोवल खारिज करवा दिया गया। प्रार्थीगण द्वारा मूल वाद में प्रतिवाद प्रस्तुत

उप खण्ड अधिकारी
सोजत (पाली) राज.

पेशकार
उप खण्ड अधिकारी एवं तहसीलदार
सोजत (राज.)

किया गया था जिस पर न्यायालय द्वारा कोई निर्णय नही लिया गया, विड्रोवल प्रार्थना पत्र की प्रति भी प्रतिवादी अधिवक्ता को उपलब्ध नही करवाई गई थी, तथा वादी स्वयं का वाद विड्रोल करने का अधिकारी होता है एवं पत्रावली में यदि प्रतिदावा प्रस्तुत हो तो दावा विड्रोल होने पर वादी प्रतिवादी तथा प्रतिवादी वादी की श्रेणी में चला जाता है। किन्तु मुल वाद में इन समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज किया जाकर मूल वाद जरिये विड्रोवल खारिज कर फेसल शुमार कर दिया गया। जिससेः प्रतिवादी द्वारा प्रस्तुत काउन्टर वाद पुनः रेस्टोर किये जाने तथा वाद पुनः उसी नम्बर पर दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) ने अपने कथनो के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त AIR 1925 Bomay 425. AIR 1962 Rajasthan 109. AIR 1979 Patna 73. AIR 1983Orrisa 50. 1987 RLW (59) page 250. 2011(2) DNJ SC 456at 457. Karanataka High Court Smt Shyamala bai andORS V/S Smt saraswati Bai AndORS 31 july 1996 , 2008 RRD (52) at page 197, 2021(2)DNJ(rev)1245 2019 RRD 266, 2012 RRD (89) at page 380 Raj high court , AIR 1994 SC 227, RRD High Court page 748, Allahabad High court 1732/ 2015 Gaya Prasad The State of U.P. Tharu Prin. Secy Deptt.of Revenue and Others पेश किये।

अधिवक्ता अप्रार्थी (वादीगण) ने बहस के दौरान व्यक्त किया कि वादीगण ने अपने हक अधिकारो को सुरक्षित रखते हुये स्वयं द्वारा प्रस्तुत वाद को जरिये विड्रोवल खारिज करवाया गया है। प्रार्थी द्वारा गलत रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ है। यदि वाद खारिज होता है वो प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र आदेश 09 नियम 05 सीपीसी के तहत प्रस्तुत करना चाहिए था जो इनके द्वारा नही किया गया। प्रार्थीगण को वाद खारिज होने की जानकारी दिनांक 01.12.2016 को हो गई थी किन्तु इन्होने धारा 05 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र देरीना अवधि को कण्डोन किये जाने का पेश नही किया गया है। प्रार्थना पत्र म्याद बाहर होने से खारिज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र, फहरिस्त मय दस्तावेज, न्यायिक दृष्टान्त/ उद्धरण , का अध्ययन कर बहस वकुलाय पर गौर कर मनन किया गया। न्यायालय हाजा में प्रस्तुत वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकार अधिनियम 1955 के तहत प्रस्तुत किया गया था। वाद में सभी प्रस्तुत प्रार्थना पत्र जबाब दावा मय प्रतिदावा पत्रावली पर लिया जाकर बाद विधिवत सुनवाई प्राथमिक डिक्री जारी की गई थी। किन्तु विभाजन प्रस्ताव रेकर्ड पर आने के पश्चात अधिवक्ता मय वादीगण द्वारा विड्रोवल प्रार्थना पत्र पेश करने पर वादीगण का वाद जरिये विड्रोवल खारिज किया गया है किन्तु सहवन से मूल वाद में प्रतिदावा रेकर्ड पर थी। जिसे कतई न्यायोचित नही ठहराया जा सकता। यदि वादी की विभाजन प्रस्ताव से सहमति नही थी तो वह लिखित आपति या अन्य विधिसम्मत कार्यवाही के लिए स्वतंत्र था। यहा यह भी देखना उचित है कि मूल वाद में प्राथमिक डिक्री जारी की जा चूकी है। प्राथमिक डिक्री के विरूद्ध कोई अपील प्रस्तुत नही हुई है। प्राथमिक डिक्री को न तो अपील के जरिये निरस्त किया गया है ना ही कोइ वाद की डिक्री के जरिये निरस्त किया गया है जिससे वर्तमान में प्राथमिक डिक्री विद्यमान है। अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त Allahabad High court 1732/ 2015 Gaya Prasad The State of U.P. Tharu Prin. Secy Deptt.of Revenue and Others में पारित निर्णय में स्पष्ट किया है कि " Having heard the learned counsel for the parties and perused the record no doubt the conduct of the opposite party no. 5 in filing an application for preparation of final decree after withdrawing the appeal filed against the order dismissing the suit as withdrawn, that too, concealing the aforesaid fact, was not appropriate and it is also a fact that the suit was dismissed

FOR COPYING FEES ONLY

as withdrawn on 16.12.2011 and the said order was not set aside in appeal, but the legal position is well settled that a preliminary decree is a final decision which is appealable under section 331 of the Act 1950 just as a preliminary decree prepared by a Civil Court is appealable under the provisions of the Code of Civil Procedure (C.P.C) and if no appeal is filed challenging the same, then it attains finality.

It is also a well settled that any of the persons whose shares have been defined in the preliminary decree, can pursue the preparation of a final decree in terms of the preliminary decree and once such a preliminary decree has been prepared and has attained finality, even if it be on the basis of a compromise, the suit should not be allowed to be withdrawn and even if any such order is passed, its effect would not be of nullifying such a preliminary decree as the said decree finally defines the shares of the parties. " माननीय उच्च न्यायालय अलाहबाद द्वारा पारित उक्त निर्णय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 01 पर उचित चस्पा होता है। मूल वाद में चूकि प्राथमिक डिक्री जारी की जा चूकी थी एवं अंतिम डिक्री जारी किये जाने की कोई म्याद विहित नही है तथा अधिवक्ता अप्रार्थी द्वारा अपने कथनों के समर्थन मे कोई न्यायिक दृष्टान्त / उद्धरण पेश नही किये। जबकि अधिवक्ता प्राथी(प्रतिवादी) द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त / उद्धरण उचित चस्पा होते है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 01 सीपीसी स्वीकार किया जाना तथा वाद पुनः रेस्टोर किया जाकर पुनः उसी नम्बर / स्टेज पर रेस्टोर किया जाना उचित समझते है।

—::आदेश::—

अतः उपरोक्त विवेचन / विश्लेषणानुसार मय अधिवक्ता मय प्रार्थीगण (प्रतिवादीगण) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 47 नियम 1 पीपीसी स्वीकार किया जाता है तथा मूल वाद संख्या 110/2012 अन्तर्गत धारा 53 , 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 में पारित निर्णय दिनांक 01.12.2016 को अपास्त किया जाता है तथा मूल वाद पूनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश दिए जाते है।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 07.03.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत